ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर , दरभंगा

पी. एच.डी उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रारूप

(राजनीति विज्ञान विभाग, समाजिक विज्ञान संकाय)

University Department of Political Scie...
Lalit Naray... Mithila University, Darbhanga

शोध शीर्षक - बिहार में मानवाधिकार की स्थिति : बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के विशेष संदर्भ में (2014-2024)

पर्यवेक्षक

डॉ. बिपिन कुमार 15-4-2024

Assistant Professor
R.C.S. College Manjhaul
Begusarai, L.N.M.U

शोधार्थी

राम लाल सिंह
PAT-2021- 22160168

शोध प्रस्ताव

शोध का शीर्षक

बिहार में मानवाधिकार की स्थिति : बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के विशेष संदर्भ में (2014-2024)

शोध समस्या का प्राक्कथन -

- यह शोध इस उद्देश्य से अभिप्रेत है की बिहार राज्य में मानवाधिकारों की क्या प्रगति हैं ?
- क्या बाल अधिकार एवं संरक्षण के लिए काम कर रही नीतियाँ एवं अवसंरचनाएं पर्याप्त भूमिका अदा कर रही हैं या मात्र प्रक्रियागत कार्यों तक सीमित हैं ?
- बिहार की सामाजिक - आर्थिक पिछड़ेपन का बाल अधिकारों एवं उनके संरक्षण में क्या प्रभाव हैं? क्या वर्तमान प्रयास काफी हैं ?
- बच्चों में बाल विवाह , बाल श्रम एवं बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराध के मामलों मे कार्य कर सकने एवं उसे रोकने में बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की भूमिका कहाँ तक प्रभावी हैं ?

शोध का आच्छादन एवं सार क्षेत्र

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 44 करोड़ हैं । यह देश की कुल आबादी का 37% हैं । इन आकड़ों में 0-6 आयुवर्ष के 14%, 7-14 आयुवर्ष के 17% और बाकी 6% 15-17 आयुवर्ष से संबंधित हैं ।

15.4.24

15.04.2024

शारीरिक , मानसिक , भावनात्मक आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुँचने से पूर्व बच्चे अपने जन्म से अपने वयस्क आयु तक सुभेद्य स्थिति में रहते हैं । समाज में एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ असुरक्षा ने बच्चों के लिए आसपास की दुनिया से सुरक्षा हेतु कवच को अपरिहार्य बना दिया हैं । ऐसे प्रयासों में सार्वधिक महत्वपूर्ण 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन चाइल्ड राइट्स प्रस्तावित किया गया जिसे 194 राष्ट्रों की सहमति के उपरांत 2 सितंबर 1990 को स्वीकार किया गया । यह कन्वेन्शन बाल अधिकारों के घोषणा 1959 के 30 वें वर्षगांठ पर स्वयं को अंगीकार करता हैं और इस उद्देश्य से अभिप्रेत हैं की गरीबी की लड़ाई के साथ साथ बाल अधिकार को सख्ती से लागू किया जाएं। वर्ष 2021 मानव विकास सूचकांक के 191 देशों में भारत का स्थान 132 रहा । मानव विकास सूचकांक बाल अधिकारों की प्रगति को समझने हेतु इसलिए जरूरी है की यह सूचकांक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा , विद्यालयी शिक्षा को अन्य के साथ गणना में समाहित करता हैं जो बाल अधिकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं ।
"People" या "लोग" राज्य निर्माण के प्रमुख तत्वों में शामिल हैं । राज्य अंगीकृत होता हैं - भूमि ,लोग, सरकार एवमं संप्रभुता के संयोजन से । इन तत्वों में किसी एक की कमी "असफल राज्य" की प्रकृति को बढ़ावा देती हैं । यह "लोग" उन नागरिकों की भूमिक अदा करते हैं जो भूमि की सुरक्षा , सरकार का निर्माण ,व संप्रभुता का पालन करते हैं । नागरिकों से रहित कोई राज्य नहीं। सुरक्षित मानव विकास नागरिक निर्माण की पहली दशा हैं । और मानव-अधिकारों की संकल्पना इन्ही मानव विकास को सुनिश्चित करने हेतु की गई हैं । मानव विकास और नागरिकता दोनों की शुरुआत बच्चे के जन्म के साथ होती हैं । एक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाली दशाएं राज्य के भविष्य को प्रभावित करेंगी इसलिए यह ज्ञात करना जरूरी हैं की बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण की प्रयास वर्तमान में किस दशा और दिशा में हैं ? बाल अधिकारों एवं संरक्षण की स्थिति समाज के स्वास्थ्य

15.4.24

18.04.2024

को भी इंगित करता हैं । राष्ट्रीय आपराधिक रिकार्ड ब्यूरो के आकंडों के मुताबिक वर्ष 2020 में 30,555 आपराधिक रिपोर्ट किशोरों के विरुद्ध दर्ज किए गए । बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति उनमें व्याप्त हीनभावना से उत्पन्न हो सकती हैं | क्या यह विचार किया जा सकता हैं की अधिकारों के संरक्षण में कमी बच्चों में आपराधिक वृत्ती को बढ़ावा देती हैं ? विश्व के अधिकांश देशों में बाल अधिकारों का उल्लंघन होता आया हैं, यह क्षेत्र मानवाधिकार के दृष्टि से कम प्रभावी रहा ऐसा इसलिए भी की बच्चें अपने अधिकारों को लेकर मुखर नहीं होते , वे अनभिज्ञ रहते हैं । हालाँकि बाल अधिकारों की सुरक्षा की चिंता अब जोर पकड़ रही हैं । बच्चों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया गया हैं । किन्तु धरातल पर इनकी प्रभाविता में गंभीर असमानताएं और त्रुटियाँ नजर आती हैं । बच्चे एक राष्ट्र की अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्ति हैं । यह शासन एवं नीतियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही हैं की वो इस विषय के प्रति उन्मुख रहे और नीति निर्माण - कार्यान्वयन में बाल अधिकारों एवं संरक्षण के प्रति संवेदनशील रहे ।

देश में तीव्रगामी भौतिक विकास ने अवसर एवं संभावनाओं के वृद्धि के द्वार खोले हैं। विकास की गतिविधियां जहां एक तरफ मानव कल्याण को पोषित करती हैं वहीं इसमें असंतुलन मानव जनित विपदाओं को जन्म देता हैं जिसका प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव मावाधिकारों के हनन को बढ़ावा देती हैं । विस्थापन एवं उपेक्षा से सर्वाधिक प्रभावित बच्चे ,महिलायें, अशक्त एवं वृद्ध लोग हैं । अगर इन्हे श्रेणी बद्ध करें तो इनमें अवयस्क अधिक प्रभावित हैं । यह अवयस्क शारीरिक - मानसिक , एवं कानूनी रूप से वयस्क आबादी पर निर्भर होते हैं । ऐसे में विस्थापन की स्थिति में यह संसाधन विहीन होकर विकास के दीये तले अंधेरे में उपेक्षा एवं वंचना के शिकार हो जाते हैं ।

भारत में बिहार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों की श्रेणी हैं । बड़ी संख्या में बिहार से श्रमबल देश के अन्य हिस्सों में रोजगार एवं

15-4-24

18.04.2024

बेहतर जीवन के लिए प्रवास करता हैं । बिहार में मौजूद सामाजिक असमानताएं राज्य में मानवाधिकार संरक्षण को चुनौती पेश करती है । मानवाधिकार के हित मे काम करने के लिए बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन संसदीय कानून के तहत वर्ष 2000 मे किया गया । बाल अधिकारों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के लिए विधि के तहत वर्ष 2010 में बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया । यह आयोग हर बच्चे तक पहुँच सकने एवं राज्य , जिला , प्रखण्ड स्तर से स्थानिय शासन तक विकेंद्रीकृत रूप में अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य के विकास के बड़े सामाजिक सरोकार हेतु निर्मित हैं ।

साहित्य समीक्षा :

Bajpai, A. (2003) Child Rights in India: Law, Policy, and Practice.
बाल अधिकार दुनिया भर में विमर्श का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और 21वीं सदी के पहले दशक में अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में इसका बहुत महत्व बढ़ रहा है। बाल अधिकारों का संरक्षण अब मानवाधिकारों का अभिन्न अंग माना जाता है। लेखक ने बाल अधिकारों की सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एजेंडा तय करने के लिए हाल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों, वर्तमान कानूनों, अदालती फैसलों, हाल के संशोधनों और कानून आयोग द्वारा सुझाए गए कानून सुधारों की आलोचनात्मक जांच की है।

Sagade, J. (2005) Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions.

15.4.24

18.04.2024

यह पुस्तक बाल विवाह के विषय को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के संदर्भ में मजबूती से रखती है। यह दर्शाता है कि कैसे बाल विवाह हर उस मानवाधिकार का उल्लंघन करता है जिसका एक बच्चा हकदार है: स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार और निश्चित रूप से जीवनसाथी का स्वतंत्र और उचित चुनाव करने का अधिकार। यह पुस्तक विशेष रूप से बालिकाओं के स्वास्थ्य और विकास पर ऐसे विवाहों के विनाशकारी प्रभावों पर केंद्रित है। यह दर्शाता है कि कैसे बाल विवाह की प्रथा महिलाओं के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा के निम्न स्तर की बुनियादी समस्या को मजबूत करती है। इसमें कानून की स्थिति, उसमें मौजूद खामियों के साथ-साथ विवाह की उम्र, सहमति की उम्र और विभिन्न कानूनों के प्रावधानों में निहित भ्रम, विरोधाभास और लिंग संवेदनशीलता की कमी की एक शक्तिशाली आलोचना भी शामिल है। विवाह की वैधता. लेखक ने मौजूदा स्थिति को चुनौती देने और बदलने के लिए इच्छुक व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा उठाए जा सकने वाले कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

Chopra, G. (2015) Child Rights in India: Challenges and Social Action. India: Springer India. यह पुस्तक बाल विकास के दृष्टिकोण से भारत में बाल अधिकारों पर एक व्यापक सार-संग्रह है। इसमें उन चुनौतियों पर चर्चा की गई है जिनका भारतीय बच्चों को अस्तित्व, विकास और शिक्षा के लिए सामना करना पड़ता है, खासकर यदि वे विकलांगता, देखभाल की कमी और गरीबी के कारण हाशिए पर हैं। पुस्तक का व्यापक उद्देश्य उन बाधाओं पर व्यापक रूप से चर्चा करना है जिनका सामना भारत में हाशिए पर रहने वाले बच्चे करते हैं, इन बाधाओं के कारणों को समझना और भारत में बच्चों के लिए सरकार और नागरिक समाज की कार्रवाई का मूल्यांकन करना है।

Bipin 15-4-24

18.04.2024

Singh, R., Mishra, S. (2020) Government Schemes for Child Protection in India: "child Protection & Child Rights in India".

यह पुस्तक "बच्चे" के अर्थ से शुरू होती है जिसका अर्थ आम तौर पर हर इंसान होता है जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है जब तक कि राज्य या राष्ट्रीय कानून अन्यथा तय न करें। कुछ उदाहरण जहां राष्ट्रीय कानूनों ने "बच्चे" की उम्र 18 से अधिक या कम तय की है, उन्हें इस पुस्तक में चित्रित किया गया है। पुस्तक में अन्य बातों के अलावा, बच्चों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ भी शामिल हैं, अर्थात् 1924 के बच्चों के अधिकारों की जिनेवा घोषणा; 1969 की बाल अधिकारों की घोषणा और 1989 की बाल अधिकारों पर कन्वेंशन। 1989 का सम्मेलन बाल हित में है। 1989 का कन्वेंशन एक बच्चे को जो भी स्वतंत्रता और अधिकार चाहिए वह प्रदान करता है: और कन्वेंशन ने कई अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों में वर्णित बच्चे के सभी अधिकारों को एक अद्‌यतन रूप में एक साथ लाया है। भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को न केवल 1989 के कन्वेंशन को स्वीकार किया, बल्कि 1989 के कन्वेंशन में निर्धारित बच्चों के अधिकार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आधार पर भारत के राष्ट्रीय कानूनों का हिस्सा बन गए हैं।

Deb, Sibnath, Sun, Hansen, Gireesan,(2016) Child rights as perceived by the community members in India.

15-4-24

15-04-2024

बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों के बारे में अधिकांश प्रतिभागियों का ज्ञान मध्यम और शहरों में भिन्न-भिन्न था, जबकि प्रतिभागी वास्तविकता में बाल अधिकारों के खराब अनुभवों के बारे में एकमत थे। जहां तक बाल अधिकारों के बारे में दृष्टिकोण और धारणा का सवाल है, शहरों के बीच वितरण में महत्वपूर्ण अंतर था (पी<0.01)। कुल मिलाकर, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में सबसे अधिक जागरूकता थी (91.3%, n=533), इसके बाद बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (89.7%, n=523) और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (89.6%, n=523)। वर्तमान अध्ययन के निष्कर्ष बाल अधिकारों और बाल अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड के बारे में सामुदायिक जागरूकता को रेखांकित करता हैं ।

Sengupta, V., & Agrawa, S. (2015) बाल मजदूरी, बाल अधिकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला: जाँजगीर-चाम्पा के विशेष संदर्भ में)

बाल्यकाल जीवन की बगिया रूपी राष्ट्र की वह सुन्दर कली है, जिसे पुष्प के रूप में खिलकर राष्ट्र को महकाना है। इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। बाल्यकाल में ही विकास की नींव रखी जाती है, क्योंकि आपका बालक ही भावी जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। महात्मा गाँधी के शब्दों में- "बच्चे देश का भविष्य है।" बच्चे देश का भविष्य होते हैं और समाज तथा देश अपने बच्चों का जिस प्रकार पालन-पोषण करेगा, शिक्षा प्रदान करेगा, संस्कार देगा, वे बच्चे देश तथा समाज को उसी के अनुसार प्रतिफल देंगे।

ओजस्कर पाण्डेय, & विजय कुमार (2022) बाल-श्रम का वैधानिक प्रावधानः एक प्रबंधकीय विश्लेषण.

बढ़ती जनसंख्या और गरीबी भारत की दो सामाजिक संरचनाएं हैं जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने और अपनी जिंदगी कमाने के लिए मजबूर करती हैं। बालश्रम वास्तविकता है जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। बाल श्रम का खतरा इतना प्रचलित हो गया है कि हम अधिकतर बेहतर जीवन जीने में उनकी मदद करने के बजाय काम की बजाय उनकी स्थिति को अनदेखा करना चुनते हैं। बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है। नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, और यह मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिकरूप से खतरनाक और हानिकारक है

Sengupta, V., & Agrawa, S. (2015) बाल मजदूरी, बाल अधिकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला: जाँजगीर-चाम्पा के विशेष संदर्भ में)

बच्चों में बढ़ती अपराध की प्रवृति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है । कहा भी गया है कि अपराधी बनाये नही बन जाते है। अधिक लाड़ प्यार में बच्चों की उचित व अनुचित मांगो को पूरा करना भी ऐसी बातें है जो बालक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाल अपराध की ओर प्रेरित करता है। कुछ बातों का संबंध बच्चे की उम्र के साथ होता है, यदि किसी बच्चे की मां अथवा पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो जाये तो वात्सल्य प्रेम से वंचित रहने के कारण बच्चा बड़ा होकर अपराध एवं नशे की लत की ओर आकृष्ट हो जाता है और इस प्रकार उसमें अनेक अपराध की प्रवृति पैदा हो जाती है आधुनिक समाज में संक्रमण शीलता के विस्तार, औद्योगीकरण के कारण सामाजिक संरचना, सामाजिक मुल्यों में परिवर्तन के पारिवारिक एवं सामुदायिक विघटन तेजी से हो रहा है। बाल अपराध मूल रूप से इन्ही परिस्थितियों की देन है।

शोध उद्देश्य

15.4.24

15.04.2024

- बाल अधिकार नीतियों के निर्माण और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच अंतर की जांच करना।
- बाल अधिकारों एवं संरक्षण को प्रभावित करने वाले विशिष्ट सामाजिक - आर्थिक कारकों का पता लगाना ।
- बाल अधिकारों के हनन के मूल कारणों को संबोधित करने हेतु मौजूदा कार्यक्रमों और पहलों का मूल्यांकन करना उनकी क्षमता का विश्लेषण ।
- समस्या के समग्र समाधान के लिए नीतिगत एवं अवसंरचनात्मक बाधाओं की पहचान करना ।
- बाल अधिकार संरक्षण हेतु निर्मित संस्थाओं की कार्यप्रणाली एवं प्रभवित करने वाले कारकों का अध्ययन करना।
- बाल अधिकार संरक्षण में समुदाय आधारित प्रयासों का मूल्यांकन करना ।
- निष्कर्षों के आधर पर नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारों को प्रस्तुत करना ।

शोध परिकल्पना

- उच्च सामाजिक-आर्थिक असमानता बिहार में बाल अधिकारों के हनन को बढ़ावा देती हैं।

Bipin 15-4-24

15.04.2024

- बिहार में नीति निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन के बीच विसंगति के कारण बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के मामले मे सीमित प्रभाव हैं ।

- बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- बिहार में बाल अधिकारों और संरक्षण के उद्देश्य से की गई वर्तमान पहल राज्य में बच्चों की भलाई के लिए व्यापक समाधान प्रदान करने में विफल रही हैं।

- बाल अधिकरों के संरक्षण मे समुदाय आधारित प्रयास अधिक लाभकारी साबित हुए हैं ।

शोध का विषय एवं अन्य विषय अनुशासन के प्रति योगदान

यह शोध महत्वपूर्ण रूप से सामाजिक विज्ञान , शिक्षाशास्त्र , राजनीति विज्ञान , मनोविज्ञान , नृविज्ञान, एवं विकास अध्ययन के विषयों के लिए उपयोगी होगा मानवाधिकारों के संबंध मे नीतियों की निर्माण , बाल विकास के प्रयास मे वैज्ञानिकता को लागू करने मे सहायक होगा । बाल अधिकार (Children's Rights): यह अध्ययन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है। बालों के व्यक्तिगत मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह अध्ययन नीतियों और कानूनों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। मानवाधिकार (Human Rights): यह अध्ययन मानवाधिकारों के प्रति

15-4-24

15.04.2024

जागरूकता और उनके संरक्षण के लिए नीतियों और कानूनों की विकास में मदद करता है । सामाजिक और आर्थिक विकास: इस अध्ययन के द्वारा बिहार में सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्र में मानवाधिकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद मिलती है । शिक्षा और स्वास्थ्य: बालों के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है । इस अध्ययन ने बिहार में मानवाधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

शोध विधि

यह शोध ऐतिहासिक- विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित होगा । इसमे जनसांख्यकीय आंकड़ों का विश्लेषण , सर्वे , प्रश्नावली , एवं सरकारी - गैर सरकारी रिपोर्ट का अध्ययन शामिल होगा । इसके तहत बाल अधिकार से जुड़े संस्थागत संरचनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन भी किया जाएगा ।

कार्य योजना : प्रस्तावित अध्यायीकरण

15-4-24

अध्याय I - परिचय

अध्याय II - मानवाधिकार एवं बाल अधिकार - सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य

अध्याय III - बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विश्लेषण

अध्याय IV - बिहार में बाल नीतियाँ

अध्याय V - बिहार में बाल अधिकार हनन के कारण

अध्ययय VI समुदाय आधारित पहल एवं बाल अधिकार

अध्याय VII निष्कर्ष

ग्रंथ सूची

ग्रंथ सूची :

प्राथमिक स्त्रोत

भारत सरकार. (2009). निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राजपत्रित अधिसूचना. द गैज़ेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, 1-13.

Children in India and their Rights(2006) Dr. Savita Bakhry published by NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION.

comment No, G. (2013). Convention on the Rights of the Child.

Assembly, U. G. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations, Treaty Series, 1577(3), 1-23.

द्वितीयक स्त्रोत

Bajpai, A. (2003). Child Rights in India: Law, Policy, and Practice. India: Oxford University Press.

Barnett, H. (2021). Children's Rights and the Law: An Introduction. United Kingdom: Taylor & Francis.

Balakrishnan, V. (2011). Growing Up and Away: Narratives of Indian Childhoods: Memory, History, Identity. India: OUP India.

Chopra, G. (2015). Child Rights in India: Challenges and Social Action. India: Springer India.

Child Law: A Deep Analysis. (n.d.). (n.p.): Educreation Publishing.

Deb, Sibnath, Sun, Hansen, Gireesan, Anjali, Kumar, Aneesh, & Majumdar, Anindita (2016) Child rights as perceived by the

15.4.24

community members in India. International Law Research, 5(1), pp. 1-15.

Gathia, J. A., Gathia, S. V. (2015). Children's Rights and Wellbeing in India: Law, Policy, and Practice. India: Concept Publishing Company Pvt. Limited.

Kaushik, A. (2014). Rights of children: A case study of child beggars at public places in India. Journal of Social Welfare and Human Rights, 2(1), 01-16.

ओजस्कर पाण्डेय, & विजय कुमार. (2022). देश में बाल-श्रम का वैधानिक प्रावधानः एक प्रबंधकीय विश्लेषण. Humanities and Development, 17(2), 106-110.

Protection of Child Rights in India: An Uncertain Future. (2017). India: S.K. Book Agency.

Rāhī, C., Śarmā, S. (2012). Balak evam balakon ke adhikar : vidhi samrakshana, mahatva evam vyavaharika gyan. India: Dinamāna Prakāśana.

Status Report on Child Rights in India: An Overview of the Past Decade. (2014). India: CRY-Child Rights and You.

Supreme Court on Children. (2011). India: Human Rights Law Network.

Sagade, J. (2005). Child Marriage in India: Socio-legal and Human Rights Dimensions. India: Oxford University Press.

15.4.24

15.04.2024

Singh, R., Mishra, S. (2020). Government Schemes for Child Protection in India: "child Protection & Child Rights in India". India: Pacific Books International.

SINGH, R. K. M. (2009). The Rights of The Child in India. India: Akansha Publishing House.

S. K. (2019). बाल श्रमिकों के मानवाधिकार. India: Poiṇṭara Pabliśarsa.

Satyarthi, K. (2016). आजाद बचपन की ओर: चुनिंदा लेखों का संग्रह. India: Prabhāta Prakāśana.

Sengupta, V., & Agrawa, S. (2015). बाल मजदूरी, बाल अधिकार का समाजशास्त्रीय अध्ययन (जिला: जाँजगीर-चाम्पा के विशेष संदर्भ में). International Journal of Advances in Social Sciences, 3(4), 183-186.

Head
University Department of Political Science
Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga